

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 06, शुक्रवार, शके 1947- जून 27, 2025 Asadha 06, Friday, Saka 1947- June 27, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र(ओ)

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 24, 2025

संख्या प. 2(21) वन/24 :-चूँकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और निजी व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय-4 के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदपश्चात् रक्षित वन (Protected forest) कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

जिला	तहसील	वनखण्ड का नाम	मौजा	खसरा न.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जयपुर	शाहपुरा (विराटनगर)	संजय वन 'मैन'	लीलो का बास	344	0.08	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
				345	0.04	
				346	0.06	
				411	0.13	
				413/981	0.30	
				417/982	0.15	
				418/983	0.15	
				421/984	0.15	
				422/985	0.14	
				423	0.05	
				424	0.03	
				426	0.17	
				427	0.04	
				428	0.04	
				429	0.06	
				430	11.19	
				431	0.57	

				432	0.17	
				433	0.02	
				434	0.12	
				435	0.19	
				436	0.05	
				437	0.04	
				438	0.05	
				439	0.02	
				440	0.01	
				441	8.10	
				442	0.34	
				447/990	0.15	
				451	0.11	
योग				30	22.72	
जयपुर	शाहपुरा	संजय वन 'मैन'	आसपुरा	585/2193	3.73	
				588	40.71	
योग				02	44.44	
कुल योग				32	67.16	
जयपुर	विराटनगर	संजय वन 'ए'	1.सूरपुरा	492	0.01	
				493	0.56	
				494	0.82	
				495	2.21	
				496	0.97	
				497	0.32	
				498	0.89	
				500	0.99	
				501	0.94	
				503	2.98	
				490/978	0.25	
योग				11	10.94	
जयपुर	शाहपुरा	संजय वन 'ए'	2.जांजेकला	1846 मि.	1.04	
				1847	0.83	
योग				02	1.87	
कुल योग				13	12.81	
जयपुर	विराटनगर	संजय वन 'बी'	सूरपुरा	502/973	0.50	
योग				01	0.50	
महायोग (वनखण्ड संजय वन 'मैन', 'ए' व 'बी')				46	80.47	

मुताबिक निर्णय
जमाबन्दी नोट के
आधार पर खसरा न0
1846 मि. का रकबा
1.04 है0 लिया गया
है।

वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वन खण्ड :संजयवन 'मैन'

रेन्ज या विस्तार :शाहपुरा

जिला :जयपुर

इस वनखण्ड की वन सीमा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कड़ियां		
1	1	2	12	20	पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	6	40	उत्तर	सीधी रेखा
3	3	4	6	00	पूर्व	सीधी रेखा
4	4	5	0	40	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	5	60	दक्षिण -पूर्व	सीधी रेखा
6	6	7	1	30	दक्षिण-- पूर्व	सीधी रेखा
7	7	8	2	40	पूर्व	सीधी रेखा
8	8	9	5	00	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
9	9	10	3	00	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
10	10	11	3	00	दक्षिण -पूर्व	सीधी रेखा
11	11	12	8	40	दक्षिण -पूर्व	सीधी रेखा
12	12	13	22	00	दक्षिण- पश्चिम	सीधी रेखा
13	13	14	9	80	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
14	14	15	1	40	दक्षिण	सीधी रेखा
15	15	16	10	00	दक्षिण- पश्चिम	सीधी रेखा
16	16	17	9	70	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
17	17	18	7	00	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
18	18	19	6	00	दक्षिण	सीधी रेखा
19	19	20	0	80	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
20	20	21	3	80	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
21	21	22	4	40	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
22	22	23	0	40	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
23	23	24	3	60	उत्तर -पश्चिम	सीधी रेखा
24	24	25	0	40	उत्तर -पूर्व	सीधी रेखा
25	25	26	6	30	उत्तर -पश्चिम	सीधी रेखा
26	26	27	6	60	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
27	27	28	1	20	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
28	28	29	1	60	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा

29	29	30	2	00	उत्तर-पूर्व	सीधी रेखा
30	30	31	1	50	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
31	31	32	00	40	उत्तर-पूर्व	सीधी रेखा
32	32	33	1	40	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
33	33	34	4	60	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
34	34	35	10	20	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
35	35	36	2	80	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
36	36	37	3	70	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
37	37	38	00	40	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
38	38	39	3	40	उत्तर-पूर्व	सीधी रेखा
39	39	40	1	80	उत्तर-पूर्व	सीधी रेखा
40	40	41	3	40	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
41	41	42	2	70	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
42	42	43	00	60	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
43	43	44	1	00	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
44	44	45	10	00	दक्षिण-पूर्व	सीधी रेखा
45	45	46	4	20	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
46	46	47	5	20	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
47	47	48	3	40	उत्तर	सीधी रेखा
48	48	49	6	50	उत्तर	सीधी रेखा
49	49	50	9	00	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
50	50	51	6	40	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
51	51	52	9	50	उत्तर	सीधी रेखा
52	52	1	7	40	उत्तर	सीधी रेखा

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वन खण्ड :संजयवन 'मैन'

रेन्ज या विस्तार :शाहपुरा

जिला :जयपुर

इस वनखण्ड की वन सीमा का विवरण निम्नानुसार है:-

चक नं. 1

क्रम सं	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कड़ियां		
1	1	2	2	60	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	2	20	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
3	3	4	4	40	उत्तर -पश्चिम	सीधी रेखा
4	4	5	0	90	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	0	60	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
6	6	1	1	10	उत्तर -पूर्व	सीधी रेखा

नोट: 1. यह सर्वे कार्य 20 मीटर की जरीब से किया गया है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं।

2. माप से अभिप्राय धरातल की सतह की माप से है।

3. दर्शाई गई माप नक्शे के अनुरूप है।

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वन खण्ड :संजय वन 'ए'

रेन्ज या विस्तार :शाहपुरा

जिला :जयपुर

इस वनखण्ड की वन सीमा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कड़ियां		
1	1	2	3	80	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	8	40	दक्षिण	सीधी रेखा
3	3	4	3	40	दक्षिण- पश्चिम	सीधी रेखा

4	4	5	3	40	दक्षिण	सीधी रेखा
5	5	6	1	00	पूर्व	सीधी रेखा
6	6	7	2	80	दक्षिण	सीधी रेखा
7	7	8	3	00	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
8	8	9	3	80	दक्षिण -पश्चिम	सीधी रेखा
9	9	10	9	60	पश्चिम	सीधी रेखा
10	10	11	6	60	दक्षिण	सीधी रेखा
11	11	12	2	70	पश्चिम	सीधी रेखा
12	12	13	6	00	पश्चिम	सीधी रेखा
13	13	14	3	70	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
14	14	15	2	00	उत्तर -पश्चिम	सीधी रेखा
15	15	16	3	00	उत्तर	सीधी रेखा
16	16	17	2	70	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
17	17	18	2	20	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
18	18	19	8	00	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
19	19	20	3	20	उत्तर -पूर्व	सीधी रेखा
20	20	21	0	80	दक्षिण- पूर्व	सीधी रेखा
21	21	22	4	40	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
22	22	23	1	20	पश्चिम	सीधी रेखा
23	23	24	8	40	उत्तर -पूर्व	सीधी रेखा
24	24	1	3	60	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा

- नोट: 1. यह सर्वे कार्य 20 मीटर की जरीब से किया गया है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं।
 2. माप से अभिप्राय धरातल की सतह की माप से है।
 3. दर्शाई गई माप नक्शे के अनुरूप है।

वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर

उन वन खण्डों की संख्या सा नाम जिनके खुले भाग में ये अधिका र	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त हैं	घरों की संख्या	जन की संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्टे प्रतिवर्ष नग फुटों में	निवास - गृह	पशुश लाएं विवि ध लक डियां
---	--------------------	---	----------------------	-----------------	------------------------	-------------------	--	--	----------------	--

सुविधाएं उपयोग में आ सकती हैं।									
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
संजयवन	शाहपुरा	1 लीलों का बांस 2आसपुरा 3 सुरपुरा 4जांजेकला	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए लकड़ी (प्रति वर्ष) क्युबिक फुट लट्टों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरमारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरमारों में	विविध अधोवन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्तें	पत्तें सूखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जड़ें	लताओं और बेलों की छालें	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल- पथ	मीलों के लिए पानी	मछ लियां पकड़ ना	शमशान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वनखण्ड संजयवन में ग्रामवासियों को आम रास्तों से पूर्व की भांति आने जाने के अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कोई हक हकूक प्राप्त नहीं रहेंगे।

वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर

रियायतों की संक्षिप्त सूची (2) वनखण्ड-संजयवन

विस्तार -शाहपुरा, तहसील -शाहपुरा, जिला - जयपुर

(सुविधाएँ राज्य शासन ,द्वारा कभी भी वापस ली जा सकती है।)

उन वन खण्डों की संख्या सा नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार /सुविधाएं उपयोग में आ सकती हैं।	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त हैं	घरों की संख्या	जन की संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्टे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
								निवा स - गृह	पशुश लाएं विवि ध लकडि यां
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
संजयवन	शाहपुरा	1 लीलों का बांस 2आसपुरा 3 सुरपुरा 4जांजेकला	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

फल और जड़ें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडि यों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल- पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकड़ना	शम शान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वनखण्ड संजयवन में ग्रामवासियों को कोई रियायत स्वीकार नहीं की गई है।

**वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।